न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- मांगीलाल (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :- 124/2022
राजस्व प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. भगताराम पुत्र प्रेमाराम उर्फ पेमाराम जाति राजपूत निवासी जलोकी तह. पदमपुर
2. लालचन्द पुत्र प्रेमाराम उर्फ पेमाराम जाति राजपूत निवासी जलोकी तह. पदमपुर
3. विकास पुत्र प्रेमाराम उर्फ पेमाराम जाति राजपूत निवासी जलोकी तह. पदमपुर
4. काली बाई पुत्री प्रेमाराम उर्फ पेमाराम जाति राजपूत निवासी जलोकी तह. पदमपुर
5. सुन्दरी बाई पुत्री प्रेमाराम उर्फ पेमाराम जाति राजपूत निवासी जलोकी तह. पदमपुर
6. लक्ष्मी बाई पुत्री प्रेमाराम उर्फ पेमाराम जाति राजपूत निवासी जलोकी तह. पदमपुर
7. बीरबल पुत्र शंकरराम जाति राजपूत निवासी जलोकी तहसील पदमपुर
8. अशोक कुमार पुत्र शंकरराम जाति राजपूत निवासी जलोकी तहसील पदमपुर
9. मस्तानाराम पुत्र वसनाराम जाति राजपूत निवासी जलोकी तहसील पदमपुर
10. मंगुराम पुत्र वसनाराम जाति राजपूत निवासी जलोकी तहसील पदमपुर

प्रार्थी..........

बनाम

01. उम्मेददान पुत्र जीवनदान जाति चारण निवासी गाडना तहसील बाप
02. सोहनदान पुत्र जीवनदान जाति चारण निवासी गाडना तहसील बाप
03. चण्डीदान पुत्र जीवनदान जाति चारण निवासी गाडना तहसील बाप
04. शंकरदान पुत्र जीवनदान जाति चारण निवासी गाडना तहसील बाप
05. चन्दनदान पुत्र जीवनदान जाति चारण निवासी गाडना तहसील बाप
06. चेतनदान पुत्र जीवनदान जाति चारण निवासी गाडना तहसील बाप
07. अणदु कंवर पुत्र शक्तिदान जाति चारण निवासी गाडना तहसील बाप
08. अर्जुनदान पुत्र शक्तिदान जाति चारण निवासी गाडना तहसील बाप
09. आवडदान पुत्र शक्तिदान जाति चारण निवासी गाडना तहसील बाप
10. उर्मिला कंवर पुत्री शक्तिदान जाति चारण निवासी गाडना तहसील बाप
11. भंवरकंवर पत्नी शक्तिदान जाति चारण निवासी गाडना तहसील बाप
12. मैनाकंवर पुत्री शक्तिदान जाति चारण निवासी गाडना तहसील बाप
13. मोहनदान पुत्र शक्तिदान जाति चारण निवासी गाडना तहसील बाप
14. राजलकंवर पुत्री शक्तिदान जाति चारण निवासी गाडना तहसील बाप

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:24:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

15. श्यामाकंवर पुत्री शक्तिदान जाति चारण निवासी गाडना तहसील बाप

16. संतोषकंवर पुत्र शक्तिदान जाति चारण निवासी गाडना तहसील बाप

17. संदीपकंवर पुत्री शक्तिदान जाति चारण निवासी गाडना तहसील बाप

18. सुरजकंवर पत्नी करणीदान जाति चारण निवासी गाडना तहसील बाप

19. सम्पतकंवर पुत्री करणीदान जाति चारण निवासी गाडना तहसील बाप

20. सिकन्दर पुत्र इशाक जाति मुसलमान निवासी जेतड़सर तहसील बाप

21. अमियतखातु पत्नी सरादीन जाति मुसलमान निवासी जेतड़सर तहसील बाप

22. शोकतअली पुत्र नूरदीन जाति मुसलमान निवासी बाप तहसील बाप

23. खेरदीन पुत्र गफूरखां जाति मुसलमान निवासी बाप तहसील बाप

24. निजामदीन पुत्र हाफज मीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बाप तहसील बाप

25. मोहम्मद आलम पुत्र हाफज खां जाति मुसलमान निवासी बाप तहसील बाप

26. मोहम्मद अमीन पुत्र हाफजखां जाति मुसलमान निवासी बाप तहसील बाप

27. फतेह मोहम्मद पुत्र हाफज मीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बाप तह. बाप

28. ज्मनाकंवर पत्नी कैलाशदान चारण निवासी भाण्डु चारणान तहसील शेरगढ

29. M/s clean solar power jaipur private limited plot no 201 first floor okhala industnal eastate phase 3 new delhi 110020

30. Focal solar power projects सनबोर्न एनर्जी राजस्थान सोलर प्रा.लि. रजि. आफिस 8 कटेवा भवन गणपति प्लाजा के पीछे एम आई रोड जयपुर।

31. सनबोर्न एनर्जी जयपुर प्र.लि. रजि. आफिस 8 कटेवा भवन गणपति प्लाजा के पीछे एम आई रोड जयपुर

32. सुशीला कंवर पत्नी गोपालदान चारण निवासी भाण्डु चारणान तहसील शेरगढ

33. भागीरथ पुत्र त्रिलोकनाथ जाति ब्राहमण निवासी फाजलका तहसील फाजलका पंजाब

34. टविनाश पुत्र चमनलाल जाति ब्राहमण निवासी फाजलका तहसील फाजलका पंजाब

35. श्रेवता पुत्र इमरणराम जाति जाट निवासी बास्ती तहसील व जिला बीकानेर

36. रामेश्वर पुत्र सगराम जाति जाट निवासी मो[illegible]

37. मांगीलाल पुत्र चैनाराम जाति जाट निवासी केसरदेसर तहसील [illegible]

38. मोहनराम पुत्र सुगनाराम जाति जाट निवासी निवासी मोरखा तहसील [illegible]

39. मोहनसिंह पुत्र अचलसिंह जाति चारण निवासी चौपासनी तहसील व [illegible] जोधपुर

40. सत्यनारायण पुत्र कन्हेयालाल व्यास निवासी चानोद तहसील व जिला पाली

41. हीराराम पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी कुरछी तहसील खींवसर जिला नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:24:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

42. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप

अप्रार्थीगण..

उपस्थित:-

1. श्री सुभाष विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 22 ता 27 की ओर से

निर्णय

दिनांकः- 16/01/2024

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध सुदृढ आधारों पर एक वाद वास्ते घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवाड़ा का न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी सम्भावना है। ग्राम गाडना तहसील बाप जिला जोधपुर में खसरा नम्बर 131 रकबा 1415 बीघा भूमि स्थित है। जो वक्त सेटलमेंट खातेदार करणीदान के नाम दर्ज हुई थी एवं उनके फौत होने पर उक्त भूमि उनके वारिसान जीवनदान व शक्तिदान के नाम से म्यूटेशन नम्बर 10 के जरिये दर्ज की गई। प्रार्थीगण के पूर्वज मेवाराम पुत्र आदूराम, वसनाराम, शंकरराम, पेमाराम पिसरान मेवारा जाति राजपूत निवासी जलूकी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा उपरोक्त खसरा संख्या 131 की कुल भूमि में से रकबा 400 बीघा भूमि पड़ोस का उल्लेख करते हुए जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के दिनांक 18.07.1967 को तत्समय भूमि के रेकर्डेड खातेदार जीवनदान से विधिवत रूप से खरीद कर एंव सम्पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर उसका वास्तविक एंव भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया था एवं विधिनुसार खसरा नम्बर 131 ग्राम गाडना तहसील बाप की रकबा 400 बीघा भूमि के खातेदार हो गये एंव उक्त रकबा 400 बीघा भूमि खातेदार अधिकार पंजीबद्ध विक्रय विलेख की रूह से प्रार्थीगण के पूर्वजों को निहित हो गये। तब से लेकर ताजिंदगी प्रार्थीगण के पूर्वज उक्त भूमि पर सभी के ज्ञान में बिना रोक टोक, शांतिपूर्वक बहैसियत खातेदार के काबिज रहे एवं उनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण उपरोक्त भूमि पर शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक बहैसियत खातेदार के काबिज चले आ रहे एंव इस उक्त खसरा का रकबा 400 बीघा भूमि का अपने अपने हिस्से [illegible] पर सुविधानुसार उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा खरीद की गई रकबा 400 बीघा भूमि के विक्रय पत्र अनुसार आडैस निम्न प्रकार से है उत्तर में इसी खसरा के बकाया भूमि, दक्षिण में सरहद बाप, पूर्व में रामूराम पुत्र मेघाराम का खेत तथा पश्चिम में हड्मानराम का खेत की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के पूर्वज मेवाराम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:24:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

[signature]
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

पेमाराम, बसनाराम व शंकरराम का देहान्त हो चुका है तथा प्रार्थीगण मेवाराम, पेमाराम, बसनाराम व शंकरराम के वारिसन है। पेमाराम, बसनाराम तथा शंकरराम तीनों मेवारा के पुत्र थे, इस कारण मेवाराम के देहान्त के पश्चात मेवाराम का हिस्सा उनके तीनों पुत्रों में निहित हुआ। इस तरह उपरोक्त भूमि में पेमाराम, बसनाराम तथा शंकरराम का इन भूमियों में 1/3-1/3 हिस्सा निहित हुआ। प्रार्थीगण पेमाराम, वसनाराम व शंकरराम के देहान्त के पश्चात उक्त रका 400 बीघा भूमि में निहित उनका 1/3-1/3 हिस्सा उनके वारिसान में विधिनुसार निहित हुआ एवं उसी अनुरूप प्रार्थीगण उक्त 400 बीघा भूमि पर बहैसियत खातेदार के काबिज है एंव उसका उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण अपने अपने हिस्से का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वसनाराम ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की भूमि में से 50 बीघा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 19.04. 1978 को अप्रार्थी संख्या 41 हिराराम पुत्र हेमाराम जाट निवासी कुरछी नागौर को बेचान कर दी तथा शेष हिस्से की भूमि पर वसनाराम व उनके वारिसान काबिज काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण तथा उनके पूर्वज कृषक तथा अनपढ व्यक्ति थे जिन्हे कानूनी प्रकिया का ज्ञान नही था। प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा उपरोक्त 400 बीघा भूमि विक्रय विलेख सम्पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर पंजीबद्ध विक्रय विलेख निष्पादित करवाकर भौतिक कब्जा भूमि के रेकर्डेड खातेदार से प्राप्त कर लिया था एवं तब से आज तक प्रार्थीगण के पूर्वज एवं उनके पश्चात प्रार्थीगण उक्त भूमि पर प्रार्थीगण व अन्य सभी के ज्ञान में शांतिपूर्वक बिना किसी रोकटोक के काबिज चले आ रहे है किन्तु कानूनी प्रकिया का ज्ञान नहीं होने के कारण उनके द्वारा राजस्व रेकर्ड में इस बाबत किसी प्रकार का नामान्तरण पारित नहीं करवाया गया एवं प्रार्थीगण के पूर्वजों तथा प्रार्थीगण को यही ज्ञान रहा कि प्रतिफल राशि अदा करने तथा विक्रय विलेख निष्पादित करने पश्चात भौतिक कब्जा प्राप्त करने से उक्त भूमि के वह खातेदार हो गये है, एवं इसी विश्वास के आधार पर वह वर्षों से उपरोक्त भूमि पर खातेदार की हैसियत से काबिज रहे है एंव उसका उपयोग उपभोग करते आ रहे है किन्तु राजस्व रेकर्ड में भूमि पूर्व खातेदार जीवनदान के नाम ही दर्ज रही। अभी हाल ही में अप्रार्थी संख्या 29 से 31 के कर्मचारियों द्वारा मौके पर आकर वहा पर [illegible] किये जाने का प्रयास किया गया एवं वहा पर प्रार्थीगण को [illegible] बात की गई तो प्रार्थीगण को काफी आश्चर्य हुआ एवं उनके द्वारा अप्रार्थीगण [illegible] निवेदन किया गया कि उपरोक्त रकबा 400 बीधा भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजों की खरीदशुदा भूमि है, जिस प्रार्थीगण शुरू से शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक के बहैसियत खातेदार के काबिज है। जिस पर इन अप्रार्थी संख्या 1 से 40 द्वारा प्रार्थीगण को बताया गया कि उपरोक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:24:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण के किसी भी पूर्वज का नाम नहीं है, तथा उक्त भूमि के खातेदार अप्रार्थीगण है, जिस कारण अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को उक्त भूमि में जबरन बेदखल कर वहां पर अपना सोलर प्लांट स्थापित करेगे। यह सुन कर प्रार्थीगण को आश्चर्य हुआ एवं उनके द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत उपरोक्त भूमि की जमाबंदी निकलवायी गयी तब प्रार्थीगण को सर्वप्रथम जानीकारी में आया कि प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा स्वयं के विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरण पारित नहीं करवाये जाने का नाजायज फायदा उठाते हुए उक्त भूमि के तत्कालीन खातेदार जीवनदान तथा उनके भाई द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वजों को विक्रय की गई रकबा 400 बीघा भूमि तथा अन्य भूमि का अन्य व्यक्तियों को आगे बेचान कर दिया गया एवं उन अन्य व्यक्तियों द्वारा भूमि को आगे से आगे बेचान किया जाता रहा है एवं वर्तमान में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 34 का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज है, जबकि वास्तव में जीवनदान द्वारा एक बार उक्त सम्पूर्ण भूमि में से रकबा 400 बीघा भूमि का बेचान प्रार्थीगण के पूर्वजों को करने के पश्चात अन्य किसी भी व्यक्ति को प्रार्थीगण के पूर्वजों को बेचान की गई भूमि बाबत पुनः बेचान जीवनदान को करने का विधिनुसार कोई हक व अधिकार था ही नही एवं ऐसा कोई भी बेचाननामा प्रार्थीगण को हक हकूको एवं खातेदारी अधिकारों के विरुद्ध प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य मात्र है जिससे पश्चातवर्ती क्रेतागण को प्रार्थीगण द्वारा खरीद की गई रकबा 400 बीघा भूमि के बाबत किसी प्रकार के कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इसके अलावा उक्त रकबा 400 बीघा भूमि पर चूंकि प्रार्थीगण के पूर्वज ही बरवक्त खरीद से शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे थे तो पश्चातवर्ती क्रेतागण द्वारा जो भूमि खरीद की गई उसका किसी प्रकार का कोई कब्जा उनके द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वजों की रकबा 400 बीघा भूमि के बाबत प्राप्त नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में कब्जे के अभाव में भी पश्चातवर्ती बेचाननामें प्रार्थीगण के हक हकूको के विरुद्ध प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य मात्र है। वर्तमान में जमाबंदी में दर्ज तथाकथित खातेदारान द्वारा उक्त खसरा नम्बर 131 की भूमि का आपस में विभाजन दर्शाते हुवे अलग-अलग बट्टा नम्बर दर्ज करवा लिये है तथा ऑनलाईन नक्शे में भी भूमि की तरमीम दर्शायी जा रही है, जबकि इस संबंध में [illegible] द्वारा प्रार्थीगण से किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली [illegible] अनाधिकार रूप से प्रार्थीगण की खरीदशुदा खातेदारी [illegible] दर्शाते हुवे जमाबंदी में खसरा नम्बर 131 व 131 के अनेक बट्टा नम्बर दर्ज करवा [illegible] है एवं नक्शे में उसकी अवैध रूप से तरमीम दर्शा दी गई है। किन्तु उपरोक्त अप्रार्थीगण के प्रेडिसिसर इन टाईटल हाल्डर के द्वारा जिन बेचाननामें से प्रार्थीगण के पूर्वजों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:24:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

खरीदसुदा भूमि को पुनः खरीद किया गया, उक्त बेचाननामें प्रार्थीगण के हक हकूको के विरूद्ध प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य मात्र होने के कारण उन्हे किसी प्रकार के कोई हक अधिकार प्रार्थीगण के विरूद्ध प्राप्त नहीं हुवे। इस कारण वर्तमान में प्रार्थीगण की खातेदारी रकबा 400 बीघा भूमि के बाबत् अप्रार्थीगण को भी प्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार के कोई खातेदारी अधिकार विधिनुसार प्राप्त नही होते है, एवं उनके नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्द्राजात प्रार्थीगण के हक हकूको के विरूद्ध प्रारम्भ से शून्य मात्र है मौके पर भी उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का ही शुरू से शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त है। प्रार्थीगण के पूर्वज द्वारा खसरा नम्बर 131 ग्राम गाडना तहसील बाप के तत्कालीन खातेदार जीवनदान से पद संख्या 2 में वर्णित पड़ोस की रकबा 400 बीघा कृषि भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के खरीद कर ली थी एंव तत्समय से आज दिनांक तक प्रार्थीगण के पूर्वज एंव उनके पश्चात प्रार्थीगण की भूमि पर साधिकार शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक के अप्रार्थीगण के ज्ञान में काबिज है जिससे प्रार्थीगण के पूर्वजों तथा उनके पश्चात प्रार्थीगण में उक्त भूमि बाबत् खातेदारी अधिकार विधिनुसार निहित हो चुके है किन्तु राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के पूर्वजों तथा प्रार्थीगण का नाम दर्ज होने से रह गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पास अपने पूर्वजों द्वारा खरीद की गई उपरोक्त रकबा 400 बीघा भूमि में से पेमाराम, वसनाराम व शंकरराम के वारिसानों का यानि पेमाराम 1/3 हिस्सा, शंकरराम 1/3 हिस्सा व वसनाराम का 1/3 हिस्सा भूमि के बाबत् घोषणा हेतु व वसनाराम ने अपने हिस्से की भूमि में से 50 बीघा हीराराम को बेचान कर दिया गया जिस पर उक्त हिस्से के अनुसार प्रार्थीगण स्वयं के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है, तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 131 का प्रार्थीगण एवं अन्य अप्रार्थीगण के मध्य प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा खरीद की गई पड़ोस की भूमि व शेष रही भूमि के मध्य बंटवाड़ा करवाये जाने एवं तद्नुरूप लगान का विभाजन करवाये जाने हेतु भी यह वाद प्रस्तुत है। अपर्थीगण द्वारा दिनांक 01.04.2022 को प्रार्थीगण को मौके पर आकर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि से बेदखल करने तथा भूमि को पुनः आगे बेचान करने की एलानिया धमकी दी गई है, जिस कारण प्रार्थीगण के पास अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:24:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय की जारी की गयी कि अप्रार्थीगण राजस्व ग्राम गाडना पटवार क्षेत्र बडीसिड तहसील बाप के खसरा नंबर 131 व समस्त

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

बद्‌टा नम्बर रकबा 1415 बीघा में प्रार्थीगणो के पूर्वजों द्वारा खरीद की गई रकबा 400 बीघा भूमि में मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थी संख्या 22 ता 27 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी उपस्थित आये तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

अप्रार्थी संख्या 22 ता 27 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से है-

प्रार्थीगण ने अदालत हाजा में एक वाद घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अवश्य पेश किया है लेकिन उक्त वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेज एवं वाद में वर्णित तथ्यों से मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या नहीं पाया है। प्रार्थीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा व काश्त नहीं होने से सुविधि का तुलनात्मक संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है तथा न ही प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति ही हो रही है। इस प्रकार नैसर्गिक न्याय के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। खसरा नम्बर 131 व उसके बट्‌टा नम्बरान की भूमि के किसी भी हिस्से पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है और न ही उक्त भूमि मे प्रार्थीगण कानूनन कोई हक व हिस्सा ही बनता है तथा न ही उक्त भूमि के मूल खातेदारों के द्वारा उक्त भूमि का बेचान प्रार्थीगण के पक्ष में किया गया है। जब उक्त भूमि का बेचान प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं हुआ है और न ही उक्त भूमि कभी भी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज ही रही तो प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि आगे बेचान करने का प्रश्न ही नहीं बनता है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण का कानूनन कोई हक व हिस्सा ही नहीं बनता है और न ही मौके पर कब्जा किसी प्रकार का कोई कबजा व काश्त ही है तो प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण संख्या 22 ता 27 या किसी अन्य खातेदार द्वारा उक्त भूमि से बेदखल करने का की धमकी देने का प्रश्न ही नहीं बनता है। अप्रार्थीगण संख्या 22 ता 27 ने उक्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार से भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्रों अलग-अलग के खरीद की थी और खरीद अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 22 ता 27 के पक्ष में नामान्तरण भी स्वीकृत हो चुके है और राजस्व रेकर्ड में अलग खाते कायम हो चुके है जिनके खसरा नम्बर 131/182 व 131/181 है जिसकी नक्शा लट्‌ठा में तरमीम भी अलग हो चुकी है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 22 ता 27 के पक्ष में हुवे विक्रय पत्रों को खारिज करवाने के कानूनन अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कही पर भी यह दर्शित नहीं की है कि अप्रार्थीगण संख्या 22 ता 27 एंव अन्य खातेदारों ने किस खातेदार से भूमि खरीद की थी। तरमीम अनुसार ही मौके पर अप्रार्थी संख्या 22 ता 27 का कब्जा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:24:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

काश्त है तथा खूंटे रोप तारबंदी भी कर रखी है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि में कानूनन कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है और न ही मौके पर किसी भी प्रकार का कब्जा काश्त ही है और न ही प्रार्थीगण संख्या 22 ता 27 के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के हकदार है। खसरा नम्बर 131 व उसके बट्‌टा नम्बर के पूर्व खातेदारों ने उक्त भूमि का बेचान प्रार्थीगण या उसके पूवजो को कभी नहीं किया था और न ही मौके पर किसी प्रकार का प्रार्थीगण कोई कब्जा है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण किसी भी हिस्से की खातेदारी घोषणा व बंटवाड़ा करवाने के कानूनन कोई हकदार नहीं है। प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा व कब्जा काश्त ही नहीं है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने तथा प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता है और न ही प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 22 ता 27 के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के हकदार ही है। रेकर्डेड खातेदार को अपने नाम दर्ज भूमि का बेचान करने से कानून नहीं रोका जा सकता है। जब उक्त भूमि के पूर्व खातेदारों के द्वारा प्रार्थीगण एंव प्रार्थीगण के पूर्वजों को बेचान हरी नही की थी और न ही ऐसा कोई विक्रय पत्र ही प्रभाव में ही है तथा प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से पर कब्जा व काश्त ही नहीं तो अप्रार्थीगण संख्या 22 ता 27 द्वारा उक्त भूमि में अनाधिकृत प्रवेश करने एवं प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त नहीं है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने का तथा सुविधा का तुलनात्मक संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा के उक्त प्रार्थना पत्र को मय खर्जा हर्जा के खारिज किये जाने के आदेश फरमावे।

बहस उभय पक्षकारान् प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी।

पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है-

प्रथम दृष्ट्या मामला

प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त [illegible]जी में वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:24:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible]
बाप (फलोदी)

को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्ट्या आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

पत्रावली के संलग्न प्रार्थना-पत्र जवाब प्रार्थना पत्र, नामान्तरण संख्या 10, 13, 198 की चित्रप्रति, जमाबंदियों का अवलोकन किया गया। जमाबंदियों अनुसार अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित काश्तकार/खातेदार है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार मूल खसरा नम्बर 131 का रकबा 1415 बीघा जीवनदान के नाम था जिसमें से पंजीकृत विलेख के अनुसार वादीगण के पूर्वजों ने 400 बीघा भूमि जीवनदान से क्रय की थी लेकिन शेष भूमि का कोई विवरण अंकित नहीं है जिसके वर्तमान जमाबंदियों के अनुसार विभिन्न बट्टा नम्बर है जो अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। दूसरे प्रार्थीगण ने भूमि जीवनदान पुत्र करणीदान से क्रय की थी जिसके वारिसान के नाम आज भी भूमि इसी खसरे में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि प्रार्थीगण के पूर्वजों ने वादग्रस्त भूमि से 400 बीघा भूमि जीवनदान से क्रय की थी लेकिन जीवनदान ने पुनः भूमि को आगे बेचान कर दिया। लेकिन यह अंकित नहीं किया है कि 400 बीघा की वर्तमान स्थिति क्या है? और राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में यह किसके नाम दर्ज है?

अतः प्रथम दृष्ट्या मामल पूर्ण रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से न्यायालय के अभिमत में अभिलिखित काश्तकारों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना हम उचित नहीं समझते है।

<u>सुविधा का संतुलन</u>

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

पत्रावली के संलग्न प्रार्थना-पत्र जवाब प्रार्थना पत्र, नामान्तरण संख्या 10, 13, 198 की चित्रप्रति, जमाबंदियों का अवलोकन किया गया। जमाबंदियों अनुसार अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित काश्तकार/खातेदार है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार मूल खसरा नम्बर 131 का रकबा 1415 बीघा जीवनदान के नाम था जिसमें से वादीगण के पूर्वजों ने सिर्फ 400 बीघा भूमि जीवनदान से क्रय की थी। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपने प्राथमिक अधिकारों यथा आराजी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:24:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

उपयोग-उपभोग, बैंक ऋण और बेचान आदि सुविधाओं से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुवे है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09.06.2022 को खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/01/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मांगीलाल आर.ए.एस.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:24:17 IST
Reason: SelfAttested